



2026:AHC:66965-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 3397 वर्ष 2026

श्री रजनीश मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद सादब खान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, राघव नायर

न्यायालय सं - 47

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण सक्सेना

याचिकाकर्ताओं ने थाना-सदर बाजार, जिला- शाहजहांपुर की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) बी.एन.एस.के तहत केस अपराध संख्या-684 वर्ष 2025 से उत्पन्न प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

श्री मो. इस याचिका को काफी विस्तार से सुनवाई के लिए स्वीकार करने के प्रस्ताव के समर्थन में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सादाब खान, प्रतिपक्षी संख्या-4 की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री राघव नायर की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन सिन्हा और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता -1 श्री घनश्याम कुमार को सुना।

याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं। विवादित भूमि को मूल कार्यकाल धारक रमा देवी गुप्ता ने टाटा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 20.02.1998 के माध्यम से बेचा था। टाटा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम विधिवत परिवर्तित किया गया था। इसके बाद सीएस.पी. संख्या-484 वर्ष 2017 और 4858 वर्ष 2017 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष कार्यवाही के दौरान, व्यवस्था की एक योजना पर 07.12.2017 को एक आदेश पारित किया गया था। इसके बाद, विवादित भूमि को यारा फेटिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहांपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। इस बीच, चकबंदी कार्यों में हस्तक्षेप किया गया और समेकन के दौरान, मूल कार्यकाल धारक, यानी रामा देवी गुप्ता ने राजस्व अभिलेखों अधिकारों का अभिलेखों में अपना नाम वापस दर्ज करवाया। उक्त प्रविष्टि के आधार पर, उसने विवादित भूमि को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थानांतरित हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे वास्तविक खरीदार हैं। यारा फेटिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहांपुर के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा याचिकाकर्ता और रामा देवी गुप्ता के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340 और 61(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए केस अपराध संख्या-684 वर्ष 2025 दर्ज की गई है।

अब, प्राथमिकी और परिचर परिस्थितियों के अवलोकन से पता चलेगा कि जालसाजी का आरोप लगाने वाले अपराध वास्तव में नहीं बनेंगे, इस कारण से कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रामा देवी गुप्ता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख उनके अपने हस्ताक्षर के तहत है। यह इस अर्थ में झूठा दस्तावेज नहीं है कि किसी और ने रामा देवी गुप्ता के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन, धोखाधड़ी का अपराध प्रथम दृष्टया बनाया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए वास्तविक खरीदार हैं और जो भी आपराधिक दायित्व है, उसे उनके विक्रेता राम देवी गुप्ता पर लगाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि से संबंधित पिछले लेनदेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका यह भी तर्क है कि धोखाधड़ी, यदि कोई हो, वर्ष 2000 में की गई है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे वर्ष 2025 में खरीदा है। विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि रामा देवी गुप्ता का नाम वर्ष 2000 से राजस्व अभिलेखों में जारी है।

हमें डर है, हम प्रस्तुतियों से सहमत नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि एक बार जब कोई उपकरण निष्पादित हो जाता है और शीर्षक हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो पंजीकरण पूरी दुनिया के लिए रचनात्मक नोटिस लाता है, न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि केवल उन व्यक्तियों के लिए, जिनके पास इसकी वास्तविक सूचना है। यह एक दस्तावेज़ के पंजीकरण के हितकारी उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा, यह कहने के लिए कि कोई व्यक्ति एक वास्तविक खरीदार है, उचित देखभाल और सावधानी बरतने के बाद खरीदारी करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को क्षेत्राधिकार उप-पंजीयक के कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण करना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या विवादित भूमि से संबंधित कोई पूर्व हस्तांतरण था। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता वे व्यक्ति नहीं हैं, जिन्होंने उचित देखभाल और सावधानी के साथ काम किया है। बल्कि, अचल संपत्ति की खरीद करते समय, याचिकाकर्ताओं ने लापरवाही और बेतहाशा काम किया है। इसलिए, उन्हें किसी भी तरह से वास्तविक खरीदार नहीं माना जा सकता है।

इन परिस्थितियों में, चूंकि संज्ञेय अपराधों में से एक का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, इसलिए हम आक्षेपित प्राथमिकी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह याचिका विफल हो जाती है और **खारिज** की जाती है।

मार्च 31, 2026

दीपक

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)